[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART-II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, dated the 17 December, 2015

S.O.3440(E).- Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), number S.O.591(E) dated the 20th August, 1997, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified at serial number 13, "Construction of building, equipment, furnishing and running of Hospital and Research Centre at Hojai, District Nagaon, Assam" by "Haji Abdul Majid Memorial Public Trust, P.O. Hojai, Village Gopal Nagar, District-Nagaon, Assam-782435", as an eligible project or scheme at the projected cost of Rs.7593.00 lakh, for a period of three years beginning with assessment year 1998-1999, which was extended further vide notification number S.O.1030(E) dated the 17th November, 2000 for a period of three years beginning with assessment year 2001-2002, which was extended further vide notification number S.O.378(E) dated the 19th March, 2004 for a period of three years beginning with financial year 2003-2004 and which was extended further vide notification number S.O.481(E) dated the 29th March, 2007 for a period of three years beginning with financial year 2006-2007 and which was further extended vide S.O. 2615(E) dated 14th October, 2009 for a period of three years ending with financial year 2011-12 and which was further extended vide S.O. 3182(E) dated 17th October, 2013 for a period of three years ending with financial year 2014-15;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond eighteen years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, has also decided that further extension will be considered in the instant case after the raised funds have been utilized for the project.

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby specifies the scheme or project "Construction of building, equipment, furnishing and running of Hospital and Research Centre at Hojai, District Nagaon, Assam", being carried out by Haji Abdul Majid Memorial Public Trust, P.O. Hojai, Village Gopal Nagar, District-Nagaon, Assam-782435, without any change in the approved cost of Rs. 7593.00 lakh, as an eligible project or scheme for a further period of three years beginning with financial year 2015-16, i.e., 2015-16, 2016-17 & 2017-18.

[No. 266/2015 / F.No.V. 27015/4/2015-SO (NAT.COM)]

(Makkhan Lal Meena)
Deputy Secretary (National Committee)

भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 17 दिसंबर, 2015

सां0 आ0 3550 (अ0): जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 20.08.1997 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 591(अ0) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "हाजी अब्दुल माजिद मेमोरियल पब्लिक ट्रस्ट, डाक घर होजई, गांव गोपाल नगर, जिला नगांव, असम-782435" द्वारा "होजई, जिला नगांव, असम में अस्पताल और अनुसंधान केंद्र के भवन निर्माण, उपस्कर, साज-सज्जा और संचालन" की परियोजना को निर्धारण वर्ष 1998-99 को आरंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए 7593.00 लाख रुपए की प्रक्षेपित लागत से एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 13 पर विनिर्दिष्ट किया था, जिसे बाद में दिनांक 17.11.2000 की अधिसूचना सं. सां. आ. 1030(अ0) द्वारा निर्धारण वर्ष 2001-02 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था, जिसे बाद में दिनांक 19.03.2004 की अधिसूचना सं. सां. आ. 378(अ0) द्वारा वित्तीय वर्ष 2003-04 को आरंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था, जिसे बाद में दिनांक 29.03.2007 की अधिसूचना सं. सां. आ. 481(अ0) द्वारा वित्तीय वर्ष 2006-07 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था, जिसे बाद में दिनांक 14.10.2009 की अधिसूचना सं. सां. आ. 2615(अ0) द्वारा वित्तीय वर्ष 2011-12 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था, और जिसे बाद में दिनांक 17.10.2013 की अधिसूचना सं. सां. आ. 3182(अ0) द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था ;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के अठारह वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति ने यह भी निर्णय लिया है कि परियोजना के लिए बढ़ाई गई निधियों के उपयोग कर लेने के बाद मौजूदा मामले में आगे विस्तार पर विचार किया जाएगा ।

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा "हाजी अब्दुल माजिद मेमोरियल पब्लिक ट्रस्ट, डाक घर होजई, गांव गोपाल नगर, जिला नगांव, असम-782435" द्वारा चलाई जा रही "होजई, जिला नगांव, असम में अस्पताल और अनुसंधान केंद्र के भवन निर्माण, उपस्कर, साज-सज्जा और संचालन" की परियोजना अथवा स्कीम को 7593.00 लाख रुपए की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किए बिना वित्तीय वर्ष 2015-16 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात 2015-16, 2016-17 और 2017-2018 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है ।

(सं0266/2015/फा0 सं0 वी -27015/5/2015 एस ओ(रा. स.)

(मक्खन लाल मीना)
उप सचिव(राष्ट्रीय समिति)

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART-II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, dated the 17 December, 2015

S.O. 3441 (E). - Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 2835(E) dated 19.12.2011 issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 29 "Support towards meeting running expenses for Charaibeti project (special Education on Wheel)" by "Tomorrow's Foundation, 417 Hossenpur, (Cooperative Road), Kolkata 700 107, KMC Ward No. 108, West Bengal", as an eligible project or scheme, at the estimated cost of Rs. 2.00 crore for a period of three years ending with financial year 2013-14;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond 3 years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for extending the said project or scheme for a further period of three years.

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project "Support towards meeting running expenses for Charaibeti project (special Education on Wheel)", which is being carried out by "Tomorrow's Foundation, 417 Hossenpur, (Cooperative Road), Kolkata 700 107, KMC Ward No. 108, West Bengal", without any change in the approved cost of Rs. 2.00 crore, for a further period of three years commencing with financial year 2014-15, i.e., 2014-15, 2015-16 & 2016-17. As the financial year 2014-15 has already been lapsed, no certificate under section 35AC of the IT Act, 1961 would be issued for the financial year 2014-15.

[No. 267 /2015 / F.No.V. 27015/4/2015-SO (NAT.COM)]

(Makkhan Lal Meena)
Deputy Secretary (National Committee)

भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 17 दिसंबर, 2015

सां0 आ0 3551 (अ0): जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 19.12.2011 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 2835(अ0) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "टूमारोज फाउंडेशन, 417 होसनपुर, (कोओपरेटिव रोड), कोलकाता-700107, केएमसी वार्ड नं0 108, पश्चिम बंगाल" द्वारा "चराईबेटी परियोजना (व्हील पर विशेष शिक्षा) के संचालन संबंधी खर्चों को पूरा करने के लिए सहायता" की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2013-14 को समाप्त होने वाली तीन वर्षो की अवधि के लिए 2.00 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 29 पर अधिसूचित किया था ;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीन के तीन वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीन उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतदद्वारा "टूमारोज फाउंडेशन, 417 होसनपुर, (कोओपरेटिव रोड), कोलकाता-700107, केएमसी वार्ड नं0 108, पश्चिम बंगाल" द्वारा चलाई जा रही "चराईबेटी परियोजना (व्हील पर विशेष शिक्षा) के संचालन संबंधी खर्चों को पूरा करने के लिए सहायता" की परियोजना अथवा स्कीम को 2.00 करोड़ रुपए की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किए बिना वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात 2014-15, 2015-16 और 2016-2017 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है । चूँकि वित्तीय वर्ष 2014-15 पहले ही समाप्त हो चुका है अतः आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 क ग के तहत वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए कोई प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाएगा ।

(सं0267/2015/फा0 सं0 वी -27015/4/2015 एस ओ(रा. स.)

(मक्खन लाल मीना)

उप सचिव(राष्ट्रीय समिति)

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART-II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, dated the 17 March, 2013

S.O. 3442(E) - Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O.998(E) dated the 5th July, 2006, issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 4, "Community based rehabilitation programme through rural health services" by "Ayodhya Charitable Trust, S.No.51/2, Near S.R.P. Gate No.2, Vikas Nagar, Wanawadi Village, Pune – 411040", as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with financial year 2006-2007 and which was extended further vide notification number S.O. 2035(E) dated 6th August, 2009 for three years beginning with financial year 2009-10 and which was extended further vide notification number S.O. 646(E) dated 12th March, 2013 for three years beginning with financial year 2012-13;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond nine years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project "Community based rehabilitation programme through rural health services" which is being carried out by "Ayodhya Charitable Trust, S.No.51/2, Near S.R.P. Gate No.2, Vikas Nagar, Wanawadi Village, Pune – 411040", without any change in the approved cost of Rs.1.99 crore, as an eligible project or scheme for a further period of three years beginning with financial year 2015-16, i.e., 2015-16, 2016-17 & 2017-18.

[No. 268/2015 / F.No.V. 27015/4/2015-SO (NAT.COM)]

(Makkhan Lal Meena)
Deputy Secretary (National Committee)

भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 17 दिसंबर, 2015

सां0 आ0 3552(अ0): जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 05.07.2006 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 998(अ0) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "अयोध्या चैरिटेबल ट्रस्ट, क्रम सं0 51/2, समीप एस.आर.पी. गेट सं0 2, विकास नगर, वानावाड़ी गांव, पुणे-411040" द्वारा "ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से समुदाय आधारित पुनर्वास कार्यक्रम" की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2006-07 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षो की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 4 पर अधिसूचित किया था ; जिसे बाद में दिनांक 06.08.2009 की अधिसूचना सं. सां. आ. 2035(अ0) द्वारा वित्तीय वर्ष 2009-10 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था और जिसे बाद में दिनांक 12.03.2013 की अधिसूचना सं. सां. आ. 646(अ0) द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था ;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के नौ वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा "अयोध्या चैरिटेबल ट्रस्ट, क्रम सं0 51/2, समीप एस.आर.पी. गेट सं0 2, विकास नगर, वानावाड़ी गांव, पुणे-411040" द्वारा चलाई जा रही "ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से समुदाय आधारित पुनर्वास कार्यक्रम" की परियोजना अथवा स्कीम को 1.99 करोड़ रुपए की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किए बिना वित्तीय वर्ष 2015-16 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात 2015-16, 2016-17 और 2017-2018 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है ।

(सं0268/2015/फा0 सं0 वी -27015/4/2015 एस ओ(रा. स.)

(मक्खन लाल मीना)

उप सचिव(राष्ट्रीय समिति)

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART-II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, dated the 17 December, 2015

S.O. 3443 (E). - Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 406(E) dated 9.3.2012 issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 12 "Integrated Community Health Programmes, Medical Camps & Eye Camps for poor peoples & students" by "Lions Club Care Foundation Charitable Trust, 10th Sneh Bunglow, Chandani Chowk, District Sangli – 416146, Maharashtra", as an eligible project or scheme, at the estimated cost of Rs. 3.22 crore for a period of three years ending with financial year 2014-15;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond 3 years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for extending the said project or scheme for a further period of two years.

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project "Integrated Community Health Programmes, Medical Camps & Eye Camps for poor peoples & students", which is being carried out by "Lions Club Care Foundation Charitable Trust, 10th Sneh Bunglow, Chandani Chowk, District Sangli – 416146, Maharashtra", without any change in the approved cost of Rs 3.22 crore, for a further period of two years commencing with financial year 2015-16 i.e 2015-16, & 2016-17.

[No. 269 /2015 / F.No.V. 27015/4/2015-SO (NAT.COM)]

(Makkhan Lal Meena)
Deputy Secretary (National Committee)

भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 17 दिसंबर, 2015

सां0 आ0 3553(अ0): जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 09.03.2012 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 406(अ0) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "लायन्स क्लब केयर फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट, 10वां स्नेह बंगला, चांदनी चौक, जिला सांगली-416146, महाराष्ट्र" द्वारा "निर्धन व्यक्तियों और छात्रों के लिए समेकित सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, चिकित्सा कैंप और नेत्र कैंप" की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2014-15 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए 3.22 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 12 पर अधिसूचित किया था ;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले दो वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा "लायन्स क्लब केयर फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट, 10वां स्नेह बंगला, चांदनी चौक, जिला सांगली-416146, महाराष्ट्र" द्वारा चलाई जा रही "निर्धन व्यक्तियों और छात्रों के लिए समेकित सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, चिकित्सा कैंप और नेत्र कैंप" की परियोजना अथवा स्कीम को 3.22 करोड़ रुपए की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किए बिना वित्तीय वर्ष 2015-16 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे दो वर्षों की अवधि अर्थात 2015-16 और 2016-17 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है ।

(सं0269/2015/फा0 सं0 वी -27015/4/2015 एस ओ(रा. स.)

(मक्खन लाल मीना)

उप सचिव(राष्ट्रीय समिति)

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART-II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, dated the 17 December, 2015

S.O. 3444 (E) - Whereas by notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 614 (E) dated 18th March, 2010, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 9, "Educational Development Project & corpus fund" by "Shri Ugam Education Trust, 60, Shardakunj Society, Motipura Road, Ta Himmatnagar, District Sabarkantha, Gujarat 383001", as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with financial year 2009-10 and which was extended further vide notification number S.O. 2404(E) dated 9th October, 2012 for three years beginning with financial year 2012-13;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond six years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for extending the said project or scheme for a further period of three years ;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project "Educational Development Project & corpus fund" which is being carried out by "Shri Ugam Education Trust, 60, Shardakunj Society, Motipura Road, Ta Himmatnagar, District Sabarkantha, Gujarat 383001", without any change in the approved cost of Rs. 3.64 crore including a corpus fund of Rs. 1.50 crore, as an eligible project or scheme for a further period of three years commencing with the financial year 2015-16 i.e 2015-16, 2016-17 & 2017-18.

[No. 270/2015 / F.No.V. 27015/4/2015-SO (NAT.COM)]

(Makkhan Lal Meena)
Deputy Secretary (National Committee)

भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 17 दिसंबर, 2015

सां0 आ0 3545 (अ0): जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 18.03.2010 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 614(अ0) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "श्री उगम एजुकेशन ट्रस्ट, 60, शारदाकुंज सोसायटी, मोतीपुरा रोड, तहसील हिम्मतनगर, जिला सबरकांठा, गुजरात-383001" द्वारा "शैक्षणिक विकास परियोजना और कार्पस निधि" की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2009-10 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 9 पर अधिसूचित किया था और जिसे बाद में दिनांक 09.10.2012 की अधिसूचना सं. सां. आ. 2404(अ0) द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था ;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के छह वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा "श्री उगम एजुकेशन ट्रस्ट, 60, शारदाकुंज सोसायटी, मोतीपुरा रोड, तहसील हिम्मतनगर, जिला सबरकांठा, गुजरात-383001" द्वारा "शैक्षणिक विकास परियोजना और कार्पस निधि" की परियोजना अथवा स्कीम को 1.50 करोड़ रुपए की कार्पस निधि सहित 3.64 करोड़ रुपए की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किए बिना वित्तीय वर्ष 2015-16 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है ।

(सं0270/2015/फा0 सं0 वी -27015/4/2015 एस ओ(रा. स.)

(मक्खन लाल मीना)

उप सचिव(राष्ट्रीय समिति)

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART-II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, dated the 17 December, 2015

S.O.3445(E).- Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O.54(E) dated the 16th January, 1998, issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 13, "Rural Development project – construction of buildings for primary school, women and child welfare centre, staff quarters, quest house, laboratory and library hall, kitchen and dining hall, meditation hall, administrative block, construction of three more class rooms, one seminar hall, two buses for students, one bus for staff, ten computers, and other furniture at Vinaypuram, District Bhilwara, Rajasthan" by "Anuvrat Gram Bharti Sansthan, Vinaypuram, P.O. Chankshed, Tehsil – Mandal, District Bhilwara, Rajasthan", as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 1998-1999, which was extended further vide notification number S.O.159(E) dated the 23rd February, 2000 for a period of three years beginning with financial year 2001-2002, which was extended further vide notification number S.O.374(E) dated the 19th March, 2004 for a period of three years beginning with financial year 2003-2004, which was extended further vide notification number S.O.1157(E) dated the 16th July, 2007 for a period of three years beginning with financial year 2006-2007; which was extended further vide notification number S.O. No. 1252(E) dated 18.05.2009 for a period of three years ending with financial year 2011-2012 and which was extended further vide notification number S.O. No. 3158(E) dated 17.10.2013 for a period of three years ending with financial year 2014-15;

And whereas by notification number S.O.1313(E) dated the 4th June, 2008 the estimated cost was enhanced from Rs. 60.00 lakh to Rs.140.00 lakh;

And whereas by Corrigendum number S.O.4395(E) dated the 12th November, 2008 the inclusion of construction of three more class rooms, one seminar hall, two buses for students, one bus for staff, ten computers, and other furniture in the approved project;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond eighteen years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for extending the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project "Rural Development project – construction of buildings for primary school, women and child welfare centre, staff quarters,

quest house, laboratory and library hall, kitchen and dining hall, meditation hall, administrative block, construction of three more class rooms, one seminar hall, two buses for students, one bus for staff, ten computers, and other furniture at "Vinaypuram, District Bhilwara, Rajasthan" being carried out by Anuvrat Gram Bharti Sansthan, Vinaypuram, P.O. Chankshed, Tehsil – Mandal, District Bhilwara, Rajasthan, without any change in the approved cost of Rs.140.00 lakh, as an eligible project or scheme for a further period of three years beginning with financial year 2015-16 i.e 2015-16, 2016-17 & 2017-18.

[No. 271/2015 / F.No.V. 27015/4/2015-SO (NAT.COM)]

(Makkhan Lal Meena)
Deputy Secretary (National Committee)

भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 17 दिसंबर, 2015

सां0 आ0 3545 (अ0): जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 16 जनवरी, 1998 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 54(अ0) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "अनुव्रत ग्राम भारती संस्थान, विनयपुरम, डाकघर चांकशेड, तहसील-मंडल, जिला भीलवाड़ा, राजस्थान" द्वारा "विनयपुरम, जिला भीलवाड़ा, राजस्थान में ग्रामीण विकास परियोजना-प्राथमिक स्कूल के लिए भवनों का निर्माण, महिला और बाल कल्याण कैंद्र, स्टाफ क्वार्टर, गेस्ट हाऊस, प्रयोगशाला और पुस्तकालय हॉल, रसोई घर और भोजन कक्ष, ध्यान कक्ष, प्रशासनिक ब्लॉक, तीन और क्लास रूम्स का निर्माण, एक सम्मेलन हॉल, छात्रों के लिए दो बसे, स्टाफ के लिए एक बस, दस कंप्यूटर और अन्य फर्नीचर" की परियोजना को निर्धारण वर्ष 1998-99 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं0 13 पर अधिसूचित किया था, और जिसे बाद में दिनांक 23.02.2000 की अधिसूचना सं. सां. आ. 159(अ0) के तहत वित्तीय वर्ष 2001-2002 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया ; जिसे बाद में दिनांक 19.03.2004 की अधिसूचना सं. सां. आ. 374(अ0) द्वारा वित्तीय वर्ष 2003-04 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था ; जिसे बाद में दिनांक 16.07.2007 की अधिसूचना सं. सां. आ. 1157(अ0) द्वारा वित्तीय वर्ष 2006-07 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था और जिसे बाद में दिनांक 18.05.2009 की अधिसूचना सं. सां. आ. 1252(अ0) के तहत वित्तीय वर्ष 2011-12 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था ; जिसे बाद में दिनांक 17.10.2013 की अधिसूचना सं. सां. आ. 3158(अ0) के तहत वित्तीय वर्ष 2014-15 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था ;

और जबकि दिनांक 04.06.2008 की अधिसूचना सं. सां. आ. 1313(अ0) द्वारा अनुमानित लागत को 60.00 लाख रुपए से बढ़ाकर 140.00 लाख रुपए कर दिया गया था;

और जबकि दिनांक 12.11.2008 के शुद्धिपत्र सं. सां. आ. 4395(अ0) द्वारा अनुमोदित परियोजना में तीन और क्लास रूम्स का निर्माण, एक सम्मेलन हॉल, छात्रों के लिए दो बसे, स्टाफ के लिए एक बस, दस कंप्यूटर और अन्य फर्नीचर को शामिल किया गया;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के अठारह वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाने की सिफारिश की है ;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, "अनुव्रत ग्राम भारती संस्थान, विनयपुरम, डाकघर चांकशेड, तहसील-मंडल, जिला भीलवाड़ा, राजस्थान" द्वारा चलाई जा रही "विनयपुरम, जिला भीलवाड़ा, राजस्थान में ग्रामीण विकास परियोजना-प्राथमिक स्कूल के लिए भवनों का निर्माण, महिला और बाल कल्याण केंद्र, स्टाफ क्वार्टर, गेस्ट हाऊस, प्रयोगशाला और पुस्तकालय हॉल, रसोई घर और भोजन कक्ष, ध्यान कक्ष, प्रशासनिक ब्लॉक, तीन और क्लास रूम्स का निर्माण, एक सम्मेलन हॉल, छात्रों के लिए दो बसे, स्टाफ के लिए एक बस, दस कंप्यूटर और अन्य फर्नीचर" की परियोजना अथवा स्कीम को 140.00 लाख रुपए की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किए बिना वित्तीय वर्ष 2015-16 से प्रारंभ होने वाली वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के लिए और एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है ।

(सं0 271/2015/फा0 सं0 वी -27015/4/2015 एस ओ(रा. स.)

(मक्खन लाल मीना)
उप सचिव(राष्ट्रीय समिति)

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART-II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, dated the 17 December, 2015

S.O. 3446(E). - Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 1030(E) dated 7.5.2012 issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 12 "Maintenance of Present activities and strengthening infrastructure for future requirements" by "Freedom Fighter Maulana Hussain Ahmad Madani Educational Trust, Deoband, District Saharanpur, Uttar Pradesh", as an eligible project or scheme, at the estimated cost of Rs. 12.95 Crore including a corpus fund of Rs. 3 crore, for a period of three years ending with financial year 2014-15;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond 3 years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for extending the said project or scheme for a further period of three years.

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project "Maintenance of Present activities and strengthening infrastructure for future requirements", which is being carried out by "Freedom Fighter Maulana Hussain Ahmad Madani Educational Trust, Deoband, District Saharanpur, Uttar Pradesh", without any change in the approved cost of Rs. 12.95 Crore including a corpus fund of Rs. 3 crore, for a further period of three years commencing with financial year 2015-16 i.e 2015-16, 2016-17 & 2017-18.

[No. 272 /2015 / F.No.V. 27015/4/2015-SO (NAT.COM)]

(Makkhan Lal Meena)
Deputy Secretary (National Committee)

भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 17 दिसंबर, 2015

सां0 आ0 3556 (अ0): जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 07.05.2012 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 1030(अ0) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "स्वतंत्रता सेनानी मौलाना हुसैन अहमद मदानी शैक्षणिक ट्रस्ट, देवबंद, जिला सहारनपुर, उत्तर प्रदेश" द्वारा "वर्तमान क्रियाकलपों का रखरखाव और भावी आवश्यकताओं के लिए अवसंरचना का सुद्दढीकरण" की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2014-15 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए 3 करोड़ रुपए की कार्पस निधि सहित 12.95 करोड़ रुपए की अनुमोनित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 12 पर अधिसूचित किया था ;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा 'स्वतंत्रता सेनानी मौलाना हुसैन अहमद मदानी शैक्षणिक ट्रस्ट, देवबंद, जिला सहारनपुर, उत्तर प्रदेश" द्वारा चलाई जा रही "वर्तमान क्रियाकलपों का रखरखाव और भावी आवश्यकताओं के लिए अवसंरचना के सुद्दढीकरण" की परियोजना अथवा स्कीम को 3 करोड़ रुपए की कार्पस निधि सहित 12.95 करोड़ रुपए की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किए बिना वित्तीय वर्ष 2015-16 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है ।

(सं0272/2015/फा0 सं0 वी -27015/4/2015 एस ओ(रा. स.)

(मक्खन लाल मीना)

उप सचिव(राष्ट्रीय समिति)

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART-II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, dated the 17 December, 2015

S.O. 3447 (E). - Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 2366(E) dated 4.10.2012 issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 7, "Equipment Furnishing and Running of Special Education Centre for Spastic Children at Urban Centres of SPASTN in Tamil Nadu" by "The Spastics Society of Tamil Nadu, Taramani Road, Chennai – 600 113, Tamil Nadu", as an eligible project or scheme, at the estimated cost of Rs. 2.47 crore for a period of three years ending with financial year 2014-15;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond 3 years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for extending the said project or scheme for a further period of three years.

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project "Equipment Furnishing and Running of Special Education Centre for Spastic Children at Urban Centres of SPASTN in Tamil Nadu", which is being carried out by "The Spastics Society of Tamil Nadu, Taramani Road, Chennai – 600 113, Tamil Nadu", without any change in the approved cost of Rs 2.47 crore, for a further period of three years commencing with financial year 2015-16 i.e 2015-16, 2016-17 & 2017-18.

[No. 273/2015 / F.No.V. 27015/4/2015-SO (NAT.COM)]

(Makkhan Lal Meena)
Deputy Secretary (National Committee)

भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 17 दिसंबर, 2015

सां0 आ0 3547(अ0): जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 04.10.2012 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 2366(अ0) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "तमिलनाडु की स्पास्टिक्स सोसायटी, तारामाणी रोड, चेन्नई-600113, तमिलनाडु" द्वारा "तमिलनाडु में स्पास्टिन के शहरी केंद्रों में स्पास्टिक बच्चों के लिए उपस्कर साज-सज्जा और विशेष शिक्षा केंद्र का संचालन" की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2014-15 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए 2.47 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 7 पर अधिसूचित किया था ;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा "तमिलनाडु की स्पास्टिक्स सोसायटी, तारामाणी रोड, चेन्नई-600113, तमिलनाडु" द्वारा चलाई जा रही "तमिलनाडु में स्पास्टिन के शहरी केंद्रों में स्पास्टिक बच्चों के लिए उपस्कर साजसज्जा और विशेष शिक्षा केंद्र का संचालन" की परियोजना अथवा स्कीम को 2.47 करोड़ रुपए की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किए बिना वित्तीय वर्ष 2015-16 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है ।

(सं0273/2015/फा0 सं0 वी -27015/4/2015 एस ओ(रा. स.)

(मक्खन लाल मीना)
उप सचिव(राष्ट्रीय समिति)

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART-II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, dated the 17 December, 2015

S.O. 3448(E) - Whereas by notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 2033 (E) dated 6th August, 2009, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 15, "Manavseva Crusade against Childhood Blindness" by "Manavseva Lokkalyan Mahasangh, Dr. Raj Siddiqui Complex, H.No.32, ASI Nagar, Nagpur, Maharashtra - 44017", as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with financial year 2009-10 and which was extended further vide notification number S.O. No. 2402(E) dated 9.10.2012 for a period of three years ending with financial year 2014-15;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond six years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for extending the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project "Manavseva Crusade against Childhood Blindness" which is being carried out by "Manavseva Lokkalyan Mahasangh, Dr. Raj Siddiqui Complex, H.No.32, ASI Nagar, Nagpur, Maharashtra - 44017", without any change in the approved cost of Rs. 4.93 crore, as an eligible project or scheme for a further period of three years commencing with the financial year 2015-16 i.e 2015-16, 2016-17 & 2017-18.

[No. 274/2015 / F.No.V. 27015/4/2015-SO (NAT.COM)]

(Makkhan Lal Meena)
Deputy Secretary (National Committee)

भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 17 दिसंबर, 2015

सां0 आ0 3548(अ0): जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 06.08.2009 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 2033(अ0) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "मानव सेवा लोक कल्याण महासंघ, डॉ0 राज सिद्दिकि परिसर, मकान नं0 32, एएसआई नगर, नागपुर, महाराष्ट्र-444017" द्वारा "बाल नेत्रहीनता के विरुद्ध मानव सेवा क्रुसेड" की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2009-10 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 15 पर अधिसूचित किया था और जिसे बाद में दिनांक 09.10.2012 की अधिसूचना सं. सां. आ. 2402(अ0) द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था ;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के छह वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा "मानव सेवा लोक कल्याण महासंघ, डॉ0 राज सिद्दिकि परिसर, मकान नं0 32, एएसआई नगर, नागपुर, महाराष्ट्र-444017" द्वारा चलाई जा रही "बाल नेत्रहीनता के विरुद्ध मानव सेवा क्रुसेड" की परियोजना अथवा स्कीम को 4.93 करोड़ रुपए की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किए बिना वित्तीय वर्ष 2015-16 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है।

(सं0274/2015/फा0 सं0 वी -27015/4/2015 एस ओ(रा. स.)

(मक्खन लाल मीना)

उप सचिव(राष्ट्रीय समिति)

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART-II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, dated the 17 December, 2015

S.O.3449 (E).- Whereas by notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 2835 (E) dated 19.12.2011, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 10, "Extension of Eye Hospital, Research and Rehabilitation Centre" by "Tara Sansthan, 236 A, Sector-6 Hiran Magri, Udaipur -313002, Rajasthan.", at the estimated cost of Rs.3.85 crore, as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with financial year 2011-12 and which was extended further vide notification number S.O. No. 3843(E) dated 27.12.2013 for a period of three years ending with financial year 2016-17;

And whereas the project cost is likely to enhance from Rs. 3.85 crore including a Corpus Fund of Rs. 50 lakh to Rs. 16.87 crore including a Corpus Fund of Rs. 50 lakh;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for amending the project cost from Rs. 3.85 crore including a Corpus Fund of Rs. 50 lakh to Rs. 16.87 crore including a Corpus Fund of Rs. 50 lakh;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), - hereby notifies the scheme or project "Extension of Eye Hospital, Research and Rehabilitation Centre", which is being carried out by "Tara Sansthan, 236 A, Sector-6 Hiran Magri, Udaipur -313002, Rajasthan", further amends the said notification number S.O. 2835 (E) dated 19.12.2011, to the following effect, namely:-

In the said notification, in the Table against serial number 10, in column (4), relating to maximum amount of cost to be allowed as deduction under section of 35AC of Income Tax Act, 1961 for the letters, figures and word "Rs. 3.85 crore including a Corpus Fund of Rs. 50 lakh" the letters, figures and word "Rs. 16.87 crore including a Corpus Fund of Rs. 50 lakh" shall be substituted.

[No. 275/2015 / F.No.V. 27015/4/2015-SO (NAT.COM)]

(Makkhan Lal Meena)
Deputy Secretary (National Committee)

(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 17 दिसंबर, 2015

सां0 आ0 3549 (अ0): जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 19.12.2011 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 2835 (अ0) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "तारा संस्थान, 236ए, सैक्टर-6, हिरनमागरी, उदयपुर-313002, राजस्थान" द्वारा "नेत्र अस्पताल, अनुसंधान एवं पुनर्वास कैंद्र का विस्तार" की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2011-12 को शुरु होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए 3.85 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं0 10 पर अधिसूचित किया था और जिसे बाद में दिनांक 27.12.2013 की अधिसूचना सं० सां०आ० 3843 (अ०) के तहत वित्तीय वर्ष 2016-17 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था;

और जबकि परियोजना लागत को 50 लाख रूपये की कार्पस निधि सहित 3.85 करोड़ रूपये से 50 लाख रुपये की कार्पस निधि सहित 16.87 करोड रूपये तक बढ़ाए जाने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम की परियोजना लागत को 50 लाख रूपये की कार्पस निधि सहित 3.85 करोड़ रूपये से 50 लाख रुपये की कार्पस निधि सहित 16.87 करोड़ रूपये तक बढ़ाने की सिफारिश की है ;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतदद्वारा दिनांक 19.12.2011 की उक्त अधिसूचना सं० सां० आ० 2835(अ०) में निम्नलिखित प्रभाव से संशोधन करती है नामत:

उक्त अधिसूचना में, क्रम सं० 10 के सामने तालिका में, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35कग के तहत कटौती के रूप में अनुमति दी जाने वाली लागत की अधिकतम राशि से संबंधित कालम (4) में "50 लाख रूपये की कार्पस निधि सहित 3.85 करोड़ रूपये" अक्षरों, अंकों और शब्दों को "50

लाख रुपये की कार्पस निधि सहित 16.87 करोड़ रूपये" अक्षरों, अंकों और शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(सं0 275/2015 /फा0 सं0 वी -27015/4/2015 एस ओ(एन. सी)

(मक्खन लाल मीना)
उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART-II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, dated the 17 December, 2015

S.O.3450(E).- Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), number S.O.521(E) dated the 14th July, 1994, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified at serial number 8, for (a) Furnishing and running of Society for the Education of the Crippled Centre for Independent living; (b) Furnishing and running of Society for the Education of the Crippled, Antop Hill School, by "Society for Education of the Crippled (Child and Adult), Agripada Municipal School Building, Multivai Street, Bombay-400001", as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 1995-1996 which was extended further vide notification number S.O.216(E) dated the 17th March,1997 for a period of three years beginning with assessment year 1998-1999 which was extended further vide notification number S.O.859(E) dated the 21st September, 2000 for a period of three years beginning with assessment year 2001-2002; which was extended further vide notification number S.O.526 (E) dated the 9th May, 2003 for a period of three years beginning with assessment year 2004-2005; which was extended further vide notification number S.O. 1826(E) dated 26.10.2006 for a period three more financial years commencing with 2006-07 and which was extended further vide notification number S.O. 658(E) dated 22nd March, 2010 for a period of three years beginning with the financial year 2009-10 and which was extended further vide notification number S.O. No. 2899(E) dated 27.12.2011 for a period of three years ending with financial year 2012-13;

And whereas, by notification number S.O.526(E) dated the 9th May, 2003 the estimated cost was enhanced further from Rs.81.50 lakh to Rs.175.00 lakh and whereas, by notification number S.O.647(E) dated the 12th March, 2013 the estimated cost was enhanced further from Rs. 175.00 lakh to Rs. 675.00 lakh;

And whereas, the said project or scheme is likely to extend beyond twenty one years;

And whereas, the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years ;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, has also decided that further extension will be considered in the instant case after the raised funds have been utilized for the project.

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby specifies the scheme or project for (a) Furnishing and running of

Society for the Education of the Crippled Centre for Independent living; (b) Furnishing and running of Society for the Education of the Crippled, Antop Hill School which is being carried out by "Society for Education of the Crippled (Child and Adult), Agripada Municipal School Building, Multivai Street, Bombay-400001", without any change in the approved cost of Rs. 675.00 lakh, as an eligible project or scheme for a further period of three years commencing from the financial year 2015-16 i.e 2015-16, 2016-17 & 2017-18.

[No. 276/2015 / F.No.V. 27015/4/2015-SO (NAT.COM)]

(Makkhan Lal Meena)
Deputy Secretary (National Committee)

(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 17 दिसंबर, 2015

सां0 आ0 3450 (अ0): जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 14 जुलाई, 1994 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 521 (अ0) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "सोसायटी फॉर एजुकेशन ऑफ द क्रिपल्ड (चाइल्ड एवं एडल्ट), अग्रीपाडा म्युनिसिपल स्कूल बिल्डिंग, मल्टीवाई स्ट्रीट, बाम्बे-400001" द्वारा "(क) स्वतंत्र रूप से जीवन यापन हेतु सोसायटी फॉर द एजुकेशन आर्फ द क्रिपल्ड सेंटर हेतु साज-सज्जा तथा संचालन करना (ख) सोसायटी फॉर द एजुकेशन ऑफ द क्रिपल्ड, एंटोप हिल स्कूल के लिए साज-सज्जा तथा संचालन करना" की परियोजना को निर्धारण वर्ष 1995-96 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना के रूप में क्रम सं0 8 पर विनिर्दिष्ट किया था और जिसे बाद में दिनांक 17 मार्च, 1997 की अधिसूचना सं० सां०आ० 216 (अ०) के द्वारा निर्धारण वर्ष 1998-99 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षो की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था; और जिसे बाद में दिनांक 21 सितंबर, 2000 की अधिसूचना सं० सां०आ० 859 (अ०) के द्वारा निर्धारण वर्ष 2001-02 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षो की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था; जिसे बाद में दिनांक 09 मई, 2003 की अधिसूचना सं० सां०आ० 526 (अ०) के द्वारा निर्धारण वर्ष 2004-05 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था; जिसे बाद में दिनांक 26.10.2006 की अधिसूचना सं० सां०आ० 1826 (अ०) के द्वारा वित्तीय वर्ष 2006-07 को प्रारंभ होने वाली तीन और वर्षो की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था; जिसे बाद में दिनांक 22 मार्च, 2010 की अधिसूचना सं० सां०आ० 658 (अ०) के द्वारा वित्तीय वर्ष 2009-10 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षो की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था और जिसे बाद में दिनांक 27.12.2011 की अधिसूचना सं० सां०आ० 2899 (अ०) के द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 को समाप्त होने वाली तीन वर्षो की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था;

और जबकि दिनांक 9 मई, 2003 की अधिसूचना सं० सां०आ० 526(अ०) के द्वारा अनुमानित लागत को 81.50 लाख रूपये से बढ़ाकर 175.00 लाख रूपये कर दिया गया था और जबकि दिनांक 12 मार्च, 2013 की अधिसूचना सं० सां०आ० 647(अ०) के द्वारा अनुमानित लागत को 175.00 लाख रूपये से बढ़ाकर 675.00 लाख रूपये कर दिया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के इक्कीस वर्ष से अधिक चलने की संभावना है :

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए उक्त परियोजना अथवा स्कीम को विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति ने यह भी निर्णय लिया है कि परियोजना के लिए बढ़ायी गयी निधियों का उपयोग करने के पश्चात तत्काल मामले पर आगामी विस्तार हेतु विचार किया जाएगा;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतदद्वारा "सोसायटी फॉर एजुकेशन ऑफ द क्रिपल्ड (चाइल्ड एवं एडल्ट), अग्रीपाडा म्युनिसिपल स्कूल बिल्डिंग, मल्टीवाई स्ट्रीट, बाम्बे-400001" द्वारा चलायी जा रही "(क) स्वतंत्र रूप से जीवन यापन हेतु सोसायटी फॉर द एजुकेशन आर्फ द क्रिपल्ड सेंटर हेतु साज-सज्जा तथा संचालन करना (ख) सोसायटी फॉर द एजुकेशन ऑफ द क्रिपल्ड, एंटोप हिल स्कूल हेतु साज-सज्जा तथा संचालन करना" की परियोजना अथवा स्कीम को वित्तीय वर्ष 2015-16 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात 2015-16, 2016-2017 और 2017-18 के लिए 675.00 लाख रूपये की अनुमोदित लागत मे कोई परिवर्तन किए बिना एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है।

(सं0 276/2015 /फा0 सं0 वी -27015/4/2015 एस ओ(एन. सी)

(मक्खन लाल मीना)
उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART-II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, dated the 17 December, 2015

S.O.3451(E).- Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), number S.O.388(E) dated the 19th May, 1997, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified at serial number 23, "School Adoption Scheme and Balwadi Project at Mumbai, Maharashtra" by The Bombay Community Public Trust, Regent Chamber, 5th Floor, Nariman Point, Mumbai, as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 1998-1999, which was extended further vide notification number S.O.303(E) dated the 29th March, 2000 for a period of three years beginning with assessment year 2001-2002, which was extended further vide notification number S.O.1373(E) dated the 27th November, 2003 for a period of three year beginning with assessment year 2004-2005, which was extended further vide notification number S.O.474(E) dated the 29th March, 2007 for a period of three year beginning with financial year 2006-2007 and which was extended further vide notification number S.O. No.2611(E) dated 14th October, 2009 for a period of three year beginning with financial year 2009-10 and which was extended further vide notification number S.O. No.653(E) dated 12th March, 2013 for a period of three year beginning with financial year 2012-13;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond eighteen years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, has also decided that further extension will be considered in the instant case after the raised funds have been utilized for the project.

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project "School Adoption Scheme and Balwadi Project at Mumbai, Maharashtra" which is being carried out by The Bombay Community Public Trust, Regent Chamber, 5th Floor, Nariman Point, Mumbai, without any change in the approved cost of Rs. 300.00 lakh, as an eligible project or scheme for a further period of three years commencing with financial year 2015-16 i.e. 2015-16, 2016-17 & 2017-18.

[No. 277/2015 / F.No.V. 27015/4/2015-SO (NAT.COM)]

(Makkhan Lal Meena)
Deputy Secretary (National Committee)

(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 17 दिसंबर, 2015

सां0 आ0 3451 (अ0): जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 19 मई, 1997 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 388 (अ0) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "द बाम्बे कम्युनिटी पब्लिक ट्रस्ट, रिजेंट चैंबर, 5वां तल, नरीमन प्वाइंट, मुम्बई" द्वारा "मुम्बई, महाराष्ट्र में स्कूल एडोप्शन स्कीम एंड वालवाड़ी परियोजना" की परियोजना को निर्धारण वर्ष 1998-99 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना के रूप में क्रम सं0 23 पर विनिर्दिष्ट किया था और जिसे बाद में दिनांक 29 मार्च, 2000 की अधिसूचना सं० सां०आ० 303 (अ०) के द्वारा निर्धारण वर्ष 2001-02 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था; जिसे बाद में दिनांक 27 नवंबर, 2003 की अधिसूचना सं० सां०आ० 1373 (अ०) के द्वारा निर्धारण वर्ष 2004-05 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था; जिसे बाद में दिनांक 29 मार्च, 2007 की अधिसूचना सं० सां०आ० 474 (अ०) के द्वारा वित्तीय वर्ष 2006-07 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था; जिसे बाद में दिनांक 14 अक्तूबर 2009 की अधिसूचना सं० सां०आ० 2611 (अ०) के द्वारा वित्तीय वर्ष 2009-10 को प्रारंभ होने वाली तीन और वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था और जिसे बाद में दिनांक 12 मार्च, 2013 की अधिसूचना सं० सां०आ० 653 (अ०) के द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के 18 वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए उक्त परियोजना अथवा स्कीम को विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति ने यह भी निर्णय लिया है कि परियोजना के लिए बढ़ायी गयी निधियों का उपयोग करने के पश्चात तत्काल मामले पर आगामी विस्तार हेतु विचार किया जाएगा;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतदद्वारा "द बाम्बे कम्युनिटी पब्लिक ट्रस्ट, रिजेंट चैंबर, 5वां तल, नरीमन प्वाइंट, मुम्बई" द्वारा

चलायी जा रही "मुम्बई, महाराष्ट्र में स्कूल एडोप्शन स्कीम एंड वालवाडी परियोजना" की परियोजना अथवा स्कीम को वित्तीय वर्ष 2015-16 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षो की अवधि अर्थात 2015-16, 2016-2017 और 2017-18 के लिए 300.00 लाख रूपये की अनुमोदित लागत मे कोई परिवर्तन किए बिना एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है।

(सं0 277/2015 /फा0 सं0 वी -27015/4/2015 एस ओ(एन. सी)

(मक्खन लाल मीना)
उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART-II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, dated the 17 December, 2015

S.O. 3452(E).- Whereas by notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 2033(E) dated 6th August, 2009, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 9, "Sevalaya old age home project" by "Sevalaya, Sevalaya Campus, Kasuva Village, Pakkam Post, Near Thiruninravur-602024", as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with financial year 2009-10 and which was extended further vide notification number S.O. 2897(E) dated 27th December, 2011 for a period of three years ending with financial year 2014-15 and which was extended further vide notification number S.O. 1981(E) dated 20th July 2015 for a period of three years ending with financial year 2017-18;

And whereas the project cost is likely to enhance from Rs. 1.15 crore includes a corpus of Rs. 95 lakh and Rs. 19.86 lakh running expenditure to Rs. 3.00 crore including a corpus of Rs. 95 lakh;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for amending the project cost from Rs. 1.15 crore includes a corpus of Rs. 95 lakh and Rs. 19.86 lakh running expenditure to Rs. 3.00 crore including a corpus of Rs. 95 lakh;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project "Sevalaya old age home project" which is being carried out by "Sevalaya, Sevalaya Campus, Kasuva Village, Pakkam Post, Near Thiruninravur-602024", further amends the said notification number S.O. 2033(E) dated 6th August, 2009, to the following effect, namely:-

In the said notification, in the Table against serial number 9, in column (4), relating to maximum amount of cost to be allowed as deduction under section of 35AC of Income Tax Act, 1961 for the letters, figures and word "Rs. 1.15 crore includes a corpus of Rs. 95 lakh and Rs. 19.86 lakh running expenditure" the letters, figures and word "Rs. 3.00 crore including a corpus of Rs. 95 lakh" shall be substituted.

[No. 278/2015 / F.No.V. 27015/4/2015-SO (NAT.COM)]

(Makkhan Lal Meena)
Deputy Secretary (National Committee)

(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 17 दिसंबर, 2015

सां0 आ0 3452 (अ0): जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 6 अगस्त, 2009 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 2033 (अ0) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "सेवालय, सेवालय कैंपस, कसूबा गांव, पक्कम पोस्ट, थिरुनिनरावुर-602024" द्वारा "सेवालय वृद्धाश्रम परियोजना" की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2009-10 को शुरू होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं0 9 पर अधिसूचित किया था; जिसे बाद में दिनांक 27 दिसंबर, 2011 की अधिसूचना सं० सां०आ० 2897 (अ०) के द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था; और जिसे बाद में दिनांक 20 जुलाई, 2015 की अधिसूचना सं० सां०आ० 1981 (अ०) के द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था;

और जबकि परियोजना लागत को 95 लाख रूपये की कार्पस निधि तथा 19.86 लाख रूपये के संचालन व्यय सहित 1.15 करोड़ रूपये से 95 लाख की कार्पस निधि सहित 3.00 करोड़ रूपये तक बढ़ाए जाने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम की परियोजना लागत को 95 लाख रूपये की कार्पस निधि तथा 19.86 लाख रूपये के संचालन व्यय सहित 1.15 करोड़ रूपये से 95 लाख की कार्पस निधि सहित 3.00 करोड़ रूपये तक बढ़ाने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतदद्वारा "सेवालय, सेवालय कैंपस, कसूबा गांव, पक्कम पोस्ट, थिरुनिनरावुर-602024" द्वारा चलायी जा रही "सेवालय वृद्धाश्रम परियोजना" दिनांक 6 अगस्त, 2009 की उक्त अधिसूचना सं० सां० आ० 2033(अ०) में निम्नलिखित प्रभाव से संशोधन करती है नामत:

उक्त अधिसूचना में, क्रम सं० 9 के सामने तालिका में, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35कग के तहत कटौती के रूप में अनुमति दी जाने वाली लागत की अधिकतम राशि से संबंधित कालम (4) में "95 लाख रूपये की कार्पस निधि तथा 19.86 लाख रूपये के संचालन व्यय सहित 1.15 करोड़

रूपये" अक्षरों, अंकों और शब्दों को "95 लाख की कार्पस निधि सहित 3.00 करोड़ रूपये" अक्षरों, अंकों और शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(सं0 278/2015 /फा0 सं0 वी -27015/4/2015 एस ओ(एन. सी)

(मक्खन लाल मीना)
उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART-II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, dated the 17 December, 2015

S.O. 3453 (E) - Whereas by notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 2033(E) dated 6th August, 2009, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 6, "Corpus and recurring fund for Banyan" by "The Banyan, 6th Main Road, Mogapair Eri Scheme, Mogapair West, Chennai - 600 037", as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with financial year 2009-10 and which was extended further vide notification number S.O. No. 630(E) dated 12.3.2013 for a period of three years ending with financial year 2014-15;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond six years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for extending the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project "Corpus and recurring fund for Banyan" which is being carried out by "The Banyan, 6th Main Road, Mogapair Eri Scheme, Mogapair West, Chennai - 600 037", without any change in the approved cost of Rs. 9.5 crore for corpus & Rs.6.00 crore for recurring, as an eligible project or scheme for a further period of three years commencing with the financial year 2015-16 i.e. 2015-16, 2016-17 & 2017-18.

[No. 279/2015 / F.No.V. 27015/4/2015-SO (NAT.COM)]

(Makkhan Lal Meena)
Deputy Secretary (National Committee)

(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 17 दिसंबर, 2015

सां0 आ0 3453 (अ0): जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 6 अगस्त, 2009 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 2033 (अ0) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "द बनयान, छठी मेन रोड, मोगापेयर, एरई स्कीम, मोगापेयर वेस्ट, चैन्नई-600037" द्वारा "बनयान हेतु कार्पस तथा आवर्ती निधि" की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2009-10 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना के रूप में क्रम सं0 6 पर अधिसूचित किया था और जिसे बाद में दिनांक 12.03.2013 की अधिसूचना सं० सां०आ० 630 (अ०) के द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के 6 वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाये जाने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतदद्वारा "द बनयान, छठी मेन रोड, मोगापेयर, एरई स्कीम, मोगापेयर वेस्ट, चैन्नई-600037" द्वारा चलायी जा रही "बनयान हेतु कार्पस तथा आवर्ती निधि" की परियोजना अथवा स्कीम को वित्तीय वर्ष 2015-16 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात 2015-16, 2016-2017 और 2017-18 के लिए कार्पस हेतु 9.5 करोड़ तथा आवर्ती हेतु 6 करोड़ रूपये की अनुमोदित लागत मे कोई परिवर्तन किए बिना एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है।

(सं0 279/2015 /फा0 सं0 वी -27015/4/2015 एस ओ(एन. सी)

(मक्खन लाल मीना)

उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART-II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, dated the 17 December, 2015

S.O. 3454 (E).- Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 1295(E) dated 4th June, 2008, issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 3, "Sustainability and building corpus fund for children's home/hospital/educational Institutions of Gandhigram Trust" by "Gandhigram Trust, Gandhigram –624302, Dindigul District, Tamilnadu", as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with financial year 2008-09 and which was extended further vide notification number S.O. 1389(E) dated 14.6.2011 for a period of three years commencing with financial year 2011-12 and which was extended further vide notification number S.O. No. 448(E) dated 11.2.2015 for a period of three years ending with financial year 2016-17;

And whereas by notification number S.O. 1389(E) dated 14.6.2011 the estimated cost was enhanced from 'Rs.50.00 lakh to Rs.100 lakh including corpus fund of Rs.50 lakh;

And whereas the corpus fund is likely to enhance from 50 lakh to Rs. 100 lakh without any change in the approved project cost of Rs. 100.00 lakh;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for enhancing the corpus fund from Rs. 50.00 lakh to Rs. 100.00 lakh without any change in the approved project cost of Rs. 100.00 lakh;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (a) hereby notifies the scheme or project "Sustainability and building corpus fund for children's home/hospital/educational Institutions of Gandhigram Trust", which is being carried out by "Gandhigram Trust, Gandhigram –624302, Dindigul District, Tamilnadu", further amends the said notification number S.O. 1295(E) dated 4th June, 2008, to the following effect, namely:-

In the said notification, in the Table against serial number 3, in column (4), relating to maximum amount of cost to be allowed as deduction under section of 35AC of Income Tax Act, 1961 for the letters, figures and word "Rs.100.00 lakh including corpus fund of Rs. 50.00 lakh" the letters, figures and word "Corpus Fund of Rs. 100.00 lakh" shall be substituted.

[No. 280/2015 / F.No.V. 27015/4/2015-SO (NAT.COM)]

(Makkhan Lal Meena)
Deputy Secretary (National Committee)

(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 17 दिसंबर, 2015

सां0 आ0 3454 (अ0): जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 4 जून, 2008 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 1295 (अ0) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "गांधीग्राम ट्रस्ट, गांधी ग्राम-624302, डिंगीगुल जिला, तमिलनाडु" द्वारा "गांधीग्राम ट्रस्ट के बालगृह/अस्पताल, शिक्षण संस्थानों हेतु स्थायित्व तथा बिल्डिंग कार्पस निधि" की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2008-09 को शुरू होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं0 3 पर अधिसूचित किया था; जिसे बाद में दिनांक 14.06.2011 की अधिसूचना सं० सां०आ० 1389 (अ०) के द्वारा वित्तीय वर्ष 2011-12 को शुरु होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था और जिसे बाद में दिनांक 11.02.2015 की अधिसूचना सं० सां०आ० 448 (अ०) के द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था;

और जबकि दिनांक 14.06.2011 की अधिसूचना सं० सां० आं० 1389(अ०) के द्वारा अनुमानित लागत को 50.00 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये की कार्पस निधि सहित 100 लाख रुपये कर दिया था;

और जबकि 100 लाख रूपये की अनुमोदित लागत को बिना कोई परिवर्तन किए 50 लाख रूपये से बढ़ाकर 100 लाख रुपये किए जाने की संभावना हैं;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत 100 लाख रुपये की अनुमोदित परियोजना लागत में कोई परिवर्तन किए बिना कार्पस निधि को 50.00 लाख रूपये से बढ़ाकर 100.00 लाख रुपये करने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतदद्वारा "गांधीग्राम ट्रस्ट, गांधी ग्राम-624302, डिंगीगुल जिला, तमिलनाडु" द्वारा चलायी जा रही "गांधीग्राम ट्रस्ट के बालगृह/अस्पताल, शिक्षण संस्थानों हेतु स्थायित्व तथा बिल्डिंग कार्पस निधि" दिनांक

4 जून, 2008 की उक्त अधिसूचना सं० सां० आ० 1295(अ०) में निम्नलिखित प्रभाव से संशोधन करती है नामत:

उक्त अधिसूचना में, क्रम सं० 3 के सामने तालिका में, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35कग के तहत कटौती के रूप में अनुमति दी जाने वाली लागत की अधिकतम राशि से संबंधित कालम (4) में "50.00 लाख रूपये की कार्पस निधि सहित; 100.00 लाख रूपये" अक्षरों, अंकों और शब्दों को "100 लाख रूपये की कार्पस निधि" अक्षरों, अंकों और शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(सं0 280/2015 /फा0 सं0 वी -27015/4/2015 एस ओ(एन. सी)

(मक्खन लाल मीना)
उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART-II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, dated the 17 December, 2015

S.O. 3455(E) - Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O.54(E) dated the 16th January, 1998, issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 5, "Construction of buildings for Braille Press, library, blind school, auditorium, dormitory, purchase of Braille Press and running of Braille Press Complex at Vidyapalli, Malanda, Mahinagar, South-24 Parganas" by the "Blind Persons' Association, 10/2, Shamsul Huda Road, Kolkata", as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 1998-1999, which was extended further vide notification number S.O.500(E) dated the 26th May, 2000 for a period of three years beginning with assessment year 2001-2002, which was extended further vide notification number S.O.1134(E) dated the 29th September, 2003 for a period of three years beginning with financial year 2004-2005, which was extended further vide notification number S.O.1405(E) dated the 4th September, 2006 for a period of three years beginning with financial year 2006-2007 and which was extended further vide notification number S.O. 2603(E) dated 14th October, 2009 for a period of three years beginning with financial year 2009-10 and which was extended further vide notification number S.O. No. 648 (E) dated 12.3.2013 for a period of three years ending with financial year 2014-15;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond eighteen years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub- section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project "Construction of buildings for Braille Press, library, blind school, auditorium, dormitory, purchase of Braille Press and running of Braille Press Complex at Vidyapalli, Malanda, Mahinagar, South-24 Parganas" which is being carried out by the "Blind Persons' Association, 10/2, Shamsul Huda Road, Kolkata", without any change in the approved cost of Rs.187.50 lakh, as an eligible project or scheme for a further period of three years beginning with financial year 2015-16 i.e. 2015-16, 2016-17 & 2017-18.

[No. 281/2015 / F.No.V. 27015/4/2015-SO (NAT.COM)]

(Makkhan Lal Meena)
Deputy Secretary (National Committee)

(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 17 दिसंबर, 2015

सां0 आ0 3455 (अ0): जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 16 जनवरी, 1998 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 54 (अ0) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "द ब्लाइंड पर्सन्स एसोसिएशन, 10/2, शमसुल हुडा रोड, कोलकाता" द्वारा "विद्यापल्ली, मलांडा, माहीनगर, साऊथ-24 परगना में ब्रेल प्रैस, पुस्तकालय, नेत्रहीनों हेतु विद्यालय, सभागार, छात्रावास हेतु बिल्डिंग का निर्माण, ब्रेल प्रेस की खरीद तथा ब्रेल प्रैस कॉम्पलैक्स का संचालन" की परियोजना को निर्धारण वर्ष 1998-99 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना के रूप में क्रम सं0 5 पर अधिसूचित किया था और जिसे बाद में दिनांक 26 मई, 2000 की अधिसूचना सं० सां०आ० 500 (अ०) के द्वारा निर्धारण वर्ष 2001-02 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षो की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था; जिसे बाद में दिनांक 29 सितंबर, 2003 की अधिसूचना सं० सां०आ० 1134 (अ०) के द्वारा वित्तीय वर्ष 2004-05 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षो की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था; जिसे बाद में दिनांक 4 सितंबर, 2006 की अधिसूचना सं० सां०आ० 1405 (अ०) के द्वारा वित्तीय वर्ष 2006-07 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षो की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था; जिसे बाद में दिनांक 14 अक्तूबर 2009 की अधिसूचना सं० सां०आ० 2603 (अ०) के द्वारा वित्तीय वर्ष 2009-10 को प्रारंभ होने वाली तीन और वर्षो की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था और जिसे बाद में दिनांक 12.03.2013 की अधिसूचना सं० सां०आ० 648 (अ०) के द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 को समाप्त होने वाली तीन वर्षो की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के 18 वर्षो से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत अगले तीन वर्षो की अवधि के लिए उक्त परियोजना अथवा स्कीम को विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतदद्वारा "द ब्लाइंड पर्सन्स एसोसिएशन, 10/2, शमसुल हुडा रोड, कोलकाता" द्वारा चलायी जा रही "विद्यापल्ली, मलांडा, माहीनगर, साऊथ-24 परगना में ब्रेल प्रैस, पुस्तकालय, नेत्रहीनों हेतु विद्यालय, सभागार, छात्रावास हेतु बिल्डिंग का निर्माण, ब्रेल प्रैस की खरीद तथा ब्रेल प्रैस कॉम्पलैक्स का संचालन" की परियोजना अथवा स्कीम को वित्तीय वर्ष 2015-16 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षो की

अवधि अर्थात 2015-16, 2016-2017 और 2017-18 के लिए 187.50 लाख रूपये की अनुमोदित लागत मे कोई परिवर्तन किए बिना एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है।

(सं0 281/2015 /फा0 सं0 वी -27015/4/2015 एस ओ(एन. सी)

(मक्खन लाल मीना)
उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART-II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, dated the 17 December, 2015

S.O. 3456(E).- Whereas by notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O.19(E) dated the 7th January, 2004, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 11, "Free Eye surgeries and running of hospital" by "Medical Research Foundation, 18, College Road, Chennai – 600006", as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 2004-2005, which was extended further vide notification number S.O.1408(E) dated the 4th September, 2006 for a period of three years beginning with financial year 2006-2007, which was extended further vide notification number S.O. 847(E) dated 25th March, 2009 for a period of three years beginning with financial year 2009-10 and which was extended further vide notification number S.O. 2892(E) dated 27th December, 2011 for a period of three years beginning with financial year 2012-13 and which was extended further vide notification number S.O. 1966(E) dated 20th July, 2015 for a period of three years beginning with financial year 2015-16;

And whereas by notification number S.O. 2892(E) dated 27th December, 2011 the estimated cost was enhanced from Rs. 32.70 crore including a corpus fund of Rs. 28 crore to Rs. 68.07 crore including a corpus fund of Rs. 52 crore;

And whereas the corpus fund is likely to enhance from Rs. 68.07 crore including a corpus fund of Rs. 52.00 crore to Rs. 108.07 crore including a corpus fund of Rs. 52.00 crore;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for enhancing the corpus fund from Rs. 68.07 crore including a corpus fund of Rs. 52.00 crore to Rs. 108.07 crore including a corpus fund of Rs. 52.00 crore;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub- section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project "Free Eye surgeries and running of hospital" which is being carried out by "Medical Research Foundation, 18, College Road, Chennai – 600006", further amends the said notification number S.O. 19(E) dated the 7th January, 2004, to the following effect, namely:-

In the said notification, in the Table against serial number 11, in column (4), relating to maximum amount of cost to be allowed as deduction under section of 35AC of Income Tax Act, 1961 for the letters, figures and word "from Rs. 68.07 crore including a corpus fund of

Rs. 52.00 crore" the letters, figures and word "Rs. 108.07 crore including a corpus fund of Rs. 52.00 crore" shall be substituted.

[No. 282/2015 / F.No.V. 27015/4/2015-SO (NAT.COM)]

(Makkhan Lal Meena)
Deputy Secretary (National Committee)

(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 17 दिसंबर, 2015

सां0 आ0 3456 (अ0): जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 7 जनवरी, 2004 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 19 (अ0) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "मेडिकल रिसर्च फाउंडेशन, 18, कॉलेज रोड, चेन्नई-600006" द्वारा "मुफ्त नेत्र शल्य चिकित्सा तथा अस्पताल का संचालन" की परियोजना को निर्धारण वर्ष 2004-05 को शुरू होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं0 11 पर अधिसूचित किया था; जिसे बाद में दिनांक 4 सितंबर, 2006 की अधिसूचना सं० सां०आ० 1408 (अ०) के द्वारा वित्तीय वर्ष 2006-07 को शुरु होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था; और जिसे बाद में दिनांक 25 मार्च, 2009 की अधिसूचना सं० सां०आ० 847 (अ०) के द्वारा वित्तीय वर्ष 2009-10 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था; जिसे बाद में दिनांक 27 दिसंबर, 2011 की अधिसूचना सं० सां०आ० 2892 (अ०) के द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था और जिसे बाद में दिनांक 20 जुलाई, 2015 की अधिसूचना सं० सां०आ० 1966 (अ०) के द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था;

और जबकि दिनांक 27 दिसंबर, 2011 की अधिसूचना सं० सां० आं० 2892(अ०) द्वारा अनुमानित लागत को 28 करोड़ रुपये की कार्पस निधि सहित 32.70 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 52 करोड़ रुपये की कार्पस निधि सहित 68.07 करोड़ रुपये कर दिया था;

और जबकि कार्पस निधि को 52.00 करोड़ रूपये की कार्पस निधि सहित 68.07 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 52.00 करोड़ रुपये की कार्पस निधि सहित 108.07 करोड़ रुपये किए जाने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत कार्पस निधि को 52.00 करोड़ रूपये की कार्पस निधि सहित 68.07 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 52.00 करोड़ रुपये की कार्पस निधि सहित 108.07 करोड़ रुपये करने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतदद्वारा "मेडिकल रिसर्च फाउंडेशन, 18, कॉलेज रोड, चेन्नई-600006" द्वारा चलायी जा रही "मुफ्त

नेत्र शल्य चिकित्सा तथा अस्पताल का संचालन" दिनांक 7 जनवरी, 2004 की उक्त अधिसूचना सं० सां० आ० 19(अ०) में निम्नलिखित प्रभाव से संशोधन करती है नामत:

उक्त अधिसूचना में, क्रम सं० 11 के सामने तालिका में, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35कग के तहत कटौती के रुप में अनुमति दी जाने वाली लागत की अधिकतम राशि से संबंधित कालम (4) में "52.00 करोड़ रुपये की कार्पस निधि सहित 68.07 करोड़ रुपये" अक्षरों, अंकों और शब्दों को "52.00 करोड़ रुपये की कार्पस निधि सहित 108.07 करोड़ रुपये" अक्षरों, अंकों और शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(सं0 282/2015 /फा0 सं0 वी -27015/4/2015 एस ओ (एन. सी)

(मक्खन लाल मीना)
उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA,
EXTRAORDINARY, PART-II,
SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, dated the 17 December, 2015

S.O. 3457 (E) - Whereas by notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O.1237(E) dated the 28th October, 2003, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 5, "Running of hostel, medical, self-employment projects by Dr. Ambedkar Vanvasi Kalyan Trust" by "Dr. Ambedkar Vanvasi Kalyan Trust, Near Choksi Vadi, Opp. Radha Krishna Temple, Rander Road, Surat, Gujarat - 395009", as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 2004-2005 and which was extended further vide notification number S.O.1160(E) dated the 16th July, 2007 for a period of three years beginning with financial year 2006-2007 and which was extended further vide notification number S.O. 1160 (E) dated 16th July, 2007 for a period of three years beginning with financial year 2009-10 and which was extended further vide notification number S.O. No. 634 (E) dated 12.3.2013 for a period of three years ending with financial year 2014-15;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond twelve years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for extending the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project "Running of hostel, medical, self-employment projects by "Dr. Ambedkar Vanvasi Kalyan Trust" which is being carried out by "Dr. Ambedkar Vanvasi Kalyan Trust, Near Choksi Vadi, Opp. Radha Krishna Temple, Rander Road, Surat, Gujarat - 395009", without any change in the approved cost of Rs.275.00 lakh (corpus fund), as an eligible project or scheme for a further period of three years beginning with financial year 2015-16 i.e. 2015-16, 2016-17 & 2017-18.

[No. 283/2015 / F.No.V. 27015/4/2015-SO (NAT.COM)]

(Makkhan Lal Meena)
Deputy Secretary (National Committee)

(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 17 दिसंबर, 2015

सां0 आ0 3457 (अ0): जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 28 अक्तूबर, 2003 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 1237 (अ0) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "डॉ० अम्बेडकर वनवासी कल्याण ट्रस्ट, चौंकसी वाड़ी के नजदीक, राधा कृष्ण मंदिर के सामने, रनदेर रोड, सूरत, गुजरात-395009" द्वारा "छात्रावास, मेडिकल, स्वरोजगार परियोजनाओं का संचालन" की परियोजना को निर्धारण वर्ष 2004-05 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना के रूप में क्रम सं0 5 पर अधिसूचित किया था; जिसे बाद में दिनांक 16 जुलाई, 2007 की अधिसूचना सं० सां०आ० 1160 (अ०) के द्वारा वित्तीय वर्ष 2006-07 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था; जिसे बाद में दिनांक 16 जुलाई, 2007 की अधिसूचना सं० सां०आ० 1160 (अ०) के द्वारा वित्तीय वर्ष 2009-10 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था और जिसे बाद में दिनांक 12.03.2013 की अधिसूचना सं० सां०आ० 634 (अ०) के द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के 12 वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ङ के उप-नियम (5) के अंतर्गत अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए उक्त परियोजना अथवा स्कीम को विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतदद्वारा "डॉ० अम्बेडकर वनवासी कल्याण ट्रस्ट, चौंकसी वाड़ी के नजदीक, राधा कृष्ण मंदिर के सामने रनदेर रोड, सूरत, गुजरात-395009" द्वारा चलायी जा रही "छात्रावास, मेडिकल, स्वरोजगार परियोजनाओं का संचालन" की परियोजना अथवा स्कीम को वित्तीय वर्ष 2015-16 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात 2015-16, 2016-2017 और 2017-18 के लिए 275.00 लाख रुपये (कार्पस निधि) की अनुमोदित लागत मे कोई परिवर्तन किए बिना एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है।

(सं0 283/2015 /फा0 सं0 वी -27015/4/2015 एस ओ(एन. सी)

(मक्खन लाल मीना)

उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)